

21.12.16

राज्य द्वारा एडीपीओ।

आरोपी स्वयं सहित अधिवक्ता श्री राजीव शुक्ला।

इसी प्रक्रम पर प्रकरण में फरियादी आनन्दसिंह उपस्थित है और आरोपी व फरियादी ने प्रकरण के कुछ बिन्दुओं पर पर मध्यस्थता की कार्यवाही करना व्यक्त किया है। अतः रैफरल आदेश बनाया जाकर प्रकरण मध्यस्थता हेतु भेजा जाये।

प्रकरण मध्यस्थता रिपोर्ट हेतु कुछ देर पश्चात पेश हो।

सही / -

जेएमएफसी

पुनश्चः

राज्य द्वारा एडीपीओ।

आरोपी स्वयं सहित अधिवक्ता श्री राजीव शुक्ला।

मध्यस्थता रिपोर्ट सेटलमेन्ट डीड के साथ प्राप्त जिसके अनुसार मध्यस्थता सफल रही।

इसी प्रक्रम पर फरियादी आनन्दसिंह द्वारा द.प्र.स. की धारा 320(2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा के प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गयी।

राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आरोपी के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 294, 323, 506 भाग दो भा.द.स. के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार किया गया है जिसमें से धारा 323 स्वतः एवं धारा 294, 506 भाग दो न्यायालय की अनुमति उपरांत राजीनामा योग्य है। फरियादी आनन्दसिंह ने आरोपी से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री अवधबिहारी पाराशर द्वारा की गयी। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार करते हुए उन्हें राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है और राजीनामा के आधार पर आरोपी को भा.द.स. की धारा 294, 323, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण का अभिलेख दाखिल अभिलेखागार किया जाये।

सही / -

(गोपेश गर्ग)

जेएमएफसी, गोहद

४७)

सामान्य जानकारी हेतु प्र
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)